193

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : श्री एम0के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 855–एक/2013 – विरूद्व आदेश दिनांक 28–1–2013 – पारित व्दारा अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर – प्रकरण कमांक 12/2005–06 अपील

सरफुद्दीन पुत्र रसूल जाति मुसलमान
निवासी बालापुरा तहसील व जिला श्योपुर ———आवेदक

विरूद्व

ओमप्रकाश बॅसल (मृतक) पुत्र माधौलाल बॅसल

वारिस

1– श्रीमती शॉतिदेवी पत्नि स्व. ओमप्रकाश बॅसल

2– श्रीमती सुशीला पुत्री स्व. ओमप्रकाश बॅसल
पत्नि राधेश्याम मितल निवासी दादा वाडी कोटा (राजस्थान)

3– यदुनन्दन कुमार बॅसल स्व. ओमप्रकाश बॅसल निवासी श्योपुर

4– गणेश कुमार वंसल पुत्र स्व. ओमप्रकाश बॅसल निवासी श्योपुर

5– श्रीमती हेमलता गर्ग पुत्री स्व. ओमप्रकाश बॅसल
पत्नि अशोक कुमार गर्ग बूँदी (राजस्थान)

6– चेतन कुमार बंसल पुत्र स्व. ओमप्रकाश बॅसल निवासी श्योपुर

7– श्रीमती गायत्री अग्रवाल पुत्री स्व. ओमप्रकाश बॅसल
पत्नि बिनोद अग्रवाल निवासी रतलाम

8– श्रीमती यमुना गर्ग पुत्री स्व. ओमप्रकाश बॅसल पत्नि बिजयकुमार
निवासी बूँदी राजस्थान

9— पिनाक कुमार बंसल पुत्र स्व. ओमप्रकाश बॅसल निवासी श्योपुर

10—श्रीमती भारती गुप्ता पुत्री स्व. ओमप्रकाश बॅसल पत्नि दिनेश गुप्ता निवासी जयपुर राजस्थान ———अनावेदकगण

(आवेदक की ओर से श्री मुकेश भार्गव अभिभाषक)

(अनावेदकगण की ओर से श्री लखन सिंह धाकड़)

आ दे श

(आज दिनांक 18 — 11 — 2016 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर के प्रकरण कमांक 12/2005—06 अपील में पारित आदेश दिनांक 28 जनवरी, 2013 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने तहसीलदार श्योपुर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर मांग की कि उसका कस्वा श्योपुर की आराजी कमांक 1555/3 रकबा 1 वीघा 4 विसवा पर पूर्वजों के जमाने से कब्जा चला आ रहा है इसलिये शासकीय अभिलेख में कब्जा इन्द्राज किया जावे। तहसीलदार श्योपुर ने प्रकरण कमांक 12/अ—6—अ/2002—03 पंजीबद्व किया तथा आदेश दिनांक 27—7—2007 पारित करके उक्तांकित भूमि पर आवेदक का कब्जा दर्ज करना आदेशित किया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। पेशी 28—1—13 बहस हेतु नियत थी, किन्तु रिस्पा0 ने न्यायहित में बहस हेतु अतिरिक्त समय दिये जाने की मांग रखी, जिसे स्वीकार कर प्रकरण दिनांक 7—12—13 को तर्क हेतु नियत किया। इसी अंतरिम आदेश के विरूद्ध आवेदक ने यह निगरानी प्रस्तुत की है।

4/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

5/ अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर के प्रकरण कमांक 12/2005—06 अपील के अवलोकन पर पाया गया कि अनुविभागीय अधिकारी ने अपील प्रकरण का आदेश दिनांक 30—1—16 से अंतिम निराकरण कर दिया है जिसके कारण यह निगरानी व्यर्थ हो गई है। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 30—1—16 से दुखी पक्षकार सक्षम न्यायालय में अपील/निगरानी करने हेतु स्वतंत्र है। निगरानी प्रचलनयोग्य न रहने से गुणदोष पर विचार किये बिना इसी—स्तर पर समाप्त की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर